1	
	3)-190/CR.J.(6
RPI-211-6L-11-94 INDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDU	JRE CODE, 1898
SUMMERRY TRIAL CHOCK	made On
in the court of	
Name and address of the Complainant	1
Name, parentage, caste and address of accused	
कमक विवास ९० मार्जन ७। ११। इ	
(आण दिनांक 16.5-18 को घाषित)	
	w.
and the second	
17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	h
- d commission	
The offence complaint of its alleged commission.	1
	नर्ट.२२११ वट्ट
आपने दिनांक 10 4-10 को समय 70-54 बज स्था पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पर बिना किसी वैध अनुज्ञा	पत्र केभू
47 37 00	अपन आधिपत्य न
पर बिना किसी वैद्य अनुज्ञा पर बिना किसी वैद्य अनुज्ञा को माणप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध	व हाकर इस न्यायाल
OIL AND SHAPE OF THE SHAPE OF T	
संज्ञान में है।	
सज्ञान में है।	
के १००० विवस का साधारण कारावास पृथक से भूगतना होगा।	
म प्रकरण में लब्बहीता निर्देश करता में	
1	
The plea of the accused and his examination (if any)	
अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।	
314(16) Cat 131(0)	
01401	
30 xm 412 112	
anymy and	
140	
Children	
क्रियानी गाँँ	
case cluse(d), clause(f)clause(g)of subsection	proprietion 260 the
The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(f) committee the property in respect of which of which the offence has been committee.	ण्ड
the property in respect	

(नि र्ण य), (आज दिनांक 16-5-16) को घोषित)

निर्णय खुले न्यायालय में हरता0 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक महिन्द्र र प्रथम क्रेमी गोहद जिला मिण्ड वा भारत मजिस्ट्रेट ग्रथम क्रेमी बोहद, जिला-क्रिक्ड गेरे निर्देश पर टाईप किया

न्यास्यक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेप शिक्योहर जिल्हा भिण्ड

स्वायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोड्ब, जिला-भिण्ड